संख्या-13/2016/856/अडतीस-7-2016-43नरेगा/2016

प्रेषक,

वी0हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1 समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

2 समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 09 जून, 2016**

विषय- मनरेगा योजना में कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व मस्टर रोल तैयार किये जाने के संबंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह आया है कि मनरेगा अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों में श्रमिकों द्वारा कार्य की मांग किये जाने पर समय से न ही तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा रही है और न ही मस्टर रोल उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस प्रकार की शिथिलता से काम करने वाले वास्तविक जरूरतमंद श्रमिकों को रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। मस्टर रोल का समय से जारी न होना, उसमें श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज न होना और कार्यस्थल पर मस्टर रोल का न पाया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता घटित होने की संभावना दर्शाती है।

2- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व मस्टर रोल तैयार किया जाय तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि मस्टर रोल साइट पर भी उपलब्ध रहे।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया

(वी0हेकाली झिमोमी)
सचिव ।

संख्या- 13/2016/856 (1)/अड्तीस-7-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।**
2. **अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।**
3. **समस्त उपायुक्त, श्रम रोजगार, उत्तर प्रदेश/ परियोजना निदेशक, डीआरडीए, उ0प्र0।**
4. **गार्ड बुक।**

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव ।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।